

प्राचीन शिक्षा परिषद्/मैट्रिक्स
विद्यालय
गांधी शासकीय विद्यालय निगम

प्रेसका.

प्राचीन शासकीय
विद्यालय निगम (गांधी शिक्षा)

रोडा में,

आश्वास
प्राचीन शासकीय विद्यालय कीड़ी,
शिक्षा बोर्ड, २ काम्यनीली रोड़,
गांधी विल्सन-११००९२

पटना, बिहार

ठिकाना : दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगांग, शीतामढ़ी को अगामिनि प्रगाण-पत्र निपुण।

गहाशय,

उपरोक्त विषय के रांकन में निदेशालयसार खुल्हत करका है कि राजनीती अभियानका रांगना-२३४ दिनांक-०३.०४.२००८ को आलोक में विज्ञान शिक्षा पदाधिकारी, शीतामढ़ी से उपरोक्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबन्धन के मारा उपचाल करना गये थांगजात की सामीक्षा बनापत्रि प्राप्तपूर्व प्रति निर्भत वर्तने ऐसु गठित विभागीय राजिति प्राप्ति दो गढ़ राणा दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगांग, शीतामढ़ी को सी० वी० ए०१० औ०१० गांधी दिल्ली से रामनन्दा एवु शावपत्रि प्रगाण-पत्र निपुण करने की अनुशंसा दी गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में रामीकोवराना रिथरि निम्नवत है :-

१. दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगांग, शीतामढ़ी की विद्यालय निर्भत वर्तने वाला विद्यालय द्वारा उपचाल करने का विभागीय राजिति प्राप्ति दो गढ़ राणा दिल्ली के प्रत्येक सामाजिक विभाग की अनुशंसा दी गयी है तथा शास्त्र विभाग भी दिया गया है।

२. विद्यालय प्रबन्धक प्राप्ति दो गढ़ विभागीय राजिति प्राप्ति दो गढ़ विभागीय विद्यालय के द्वानु नेम उपचाल नहीं करने का दावा किया गया है।

३. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवाचिति भाग में रांचालित है, जाँ ०१ ए०१७ ०१ द्विंदी उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरका पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। कंटीय प्राप्ति विभाग वोर्ड से रथल निरीक्षण कर द्वारा दोषों की विद्यालय की आधारात् रात्रवन् द्वारा सुनिधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

४. विद्यालय में विद्यालय की नियुक्ति रामाना पर्नी में विद्यालय निकालकर विद्युति प्रदिग्दि के लिया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष व्रतात् नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विद्युति विद्युति प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वारदाति वर्षों गई हो। विद्यालय में १९ विद्यालय हैं। जाँ ०१ ए०१० इ०, नदू दिल्ली का वारदाति वर्षों गई हो। विद्यालय की अनुरूप कार्टाई करने का विभाग विभागीय विद्यालय के अनुरूप है।

५. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से फलों जाँ का दावा किया गया है।

६. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, कार्डों वर्ष, अंकेक्षण सभ्या वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ग द्वारा द्वारा अपने वार्ष आख्यासन दिया गया है। विद्यालय द्वारा आश्वासन के अनुरूप कार्टाई करने का विभाग विद्यालय के द्वारा विद्युति विभागीय विद्यालय की अनुरूप है।

Attested:
B. Singh
Principal
Delhi Public School
Lagman, Sitamarhi

विद्यालय के द्वारा विद्युति विभागीय विद्यालय की अनुरूप है।

१. दिनांक ०३१.१.२००६ में राज्यविभाग विभागीय विद्यालय की अनुरूप है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में भागता 11 25 परिवार नामांकन पल्लोस में निरापाक करने वाले परिवार के द्वारा फैसला निः शुल्क किया जाएगा तथा उनसे दूर्घटन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क को लिया जायेगा। ऐसे वच्चों की फैसली में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, विछद्य वर्ग अत्यस्त्वयक, विकलांग बलिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अनिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होने को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नरसंरी/को० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रतिवाक्षा/साक्षात्कार (वच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षणता से अधिक ले तो सुने तरीका द्वारा Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए वच्चों को वर्णन किया जायगा।
- (iii) नरसंरी/को० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले वच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन ८० किलोमीटर तक होनी।
- (iv) जिन वच्चों का नामांकन नहीं होता है उनमें ली गई आवेदन शुल्क की राशि वर्ग 30 परिवार वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी ३० एस० ई०, नहीं दिल्ली वापरे स्तर से जोधपुर वर्ग मुनिशिचित हो ले कि विद्यालय उनका नामांकन गापदण्ड के आधार पर राखा लिता है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित घरना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी राज्यालयी अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों वाला अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त स्वयं ले रहा है कि इसका नामांकन जनन्येष्ट प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए नामांकन की राशि वापस ले लिया जायेगा तथा संमत्वन रद्द करने की कठिनवाई की जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक-४६ दिनांक 18.01.2003 द्वारा शिक्षक/छात्रों का भारीक दण्ड नहीं दिए जाएं। राज्यी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विद्यार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्थानीय विभाग के नियन्त्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा निष्पत शर्तों के आधार पर दिल्ली पहिलक स्कूल, लगांड़ा, सीतामढ़ी को सी० वी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता, हेतु अनावृत्त प्रगति दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभालन

(दशरथ शर्मा)

विशेष निदेशक प्राथमिक शिक्षा

04.02.11

पत्रांक... 125

निराक.

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी को उनके पत्रांक 173 दिनांक 27.01.2011

प्रगति से सूचनार्थ एवं आवश्यक कारणों में।

विशेष निदेशक प्राथमिक शिक्षा

04.02.11

पत्रांक... 125

निराक.

प्रतिलिपि प्राथमिक दिल्ली पहिलक स्कूल, लगांड़ा, सीतामढ़ी को संलग्न।

Principal
Delhi Public School
Lagma, Sitamarhi

निराक.